XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R 2330-I/15 जिला छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24.7.15	1— मैंने प्रकरण का अवलोकन किया यह निगरानी न्यायालय तहसीलदार छतरपुर के प्र.क्र. 11/अ-6अ/98-99 में पारित आदेश दिनांक 24.03.99 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 2— आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 5 परिसीमा अधिनियम के बिंदु यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना आलोच्य आदेश पारित करने के पूर्व कोई सूचना नहीं दी गई थी। आवेदकगणों को आदेश की सर्वप्रथम जानकारी तब प्राप्त हुई जब उन्हें बादग्रस्त भूमि का सीमांकन किए जाने का सूचना पत्र दिनांक 13-7-15 प्राप्त हुआ जिसके उपरांत उनकें द्वारा नकल प्राप्त कर बिना कोई समय व्यर्थ किए अपनी निगरानी प्रस्तुत की है। 3— उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया है। कि ख.नं. 1788/1 उनकी कयशुदा भूमि है तथा कुछ आवेदकगण द्वारा विधिवत अनुमति प्राप्त कर रहवासी मकान निर्मित कर लिया हैं। उनका यह भी तर्क है कि उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण के समस्त दस्तावेज निगरानी के साथ प्रस्तुत किए गए है जिनके अवलोकन से स्पष्ट हैं कि आवेदकगण को तरमीम की जानकारी दिए बगैर गुपचुप तरीके से तरमीम की गई है, जबकि आवेदकगण द्वारा वादग्रस्त भूमि वर्ष 1990 में क्रय की थी जिस कारण से तरमीम आदेश के पूर्व आवेदकगण को भी अधीनस्थ न्यायालय को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करना चाहिए था।	

[क्र. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

4— उनके द्वारा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि आराजी ख.नं. 1784/1 जो कि वादग्रस्त भूमि से लगी हुई भूमि है का सीमांकन वर्ष 2006 में किया गया था तत्समय भी अधीनस्थ न्यायालय आलोच्य आदेश की कोई जानकारी नहीं दी गई थी। इस आधार पर उन्होनें अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है।

5— आवेदक के तर्को पर विचार किया गया प्रकरण तथा प्रमाणित दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तहसीलदार छतरपुर के प्रकरण में आवेदकगणों को सुनवाई का अवसर दिया जाना नहीं पाता हूँ। जबकि प्रस्तुत विक्रय पत्र एवं दस्तावेजों के आधार पर वे आवश्यक पक्षकार होने से उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था उनके द्वारा प्रस्तुत नोटिस दिनांक 13.07.15 के आधार पर जानकारी प्राप्त होना पाते हुए समयसीमा माफ की जाती है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए तहसीलदार छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24.03.99 निरस्त करते हुए प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे समस्त हितवत पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देते हुए प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करें। तदानुसार यह निगरानी निराकृत की जाती है प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

सदस्य

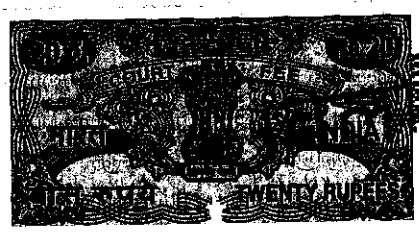

निगरानी 2330-I-15

समक्ष माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

1. श्रीमति विमला देवी पत्नि लखनलाल पांडे
   निवासी वार्ड नं. 16 पन्ना रोड छतरपुर
2. श्रीमान शुक्ला पुत्र मदनगोपाल शुक्ला
3. कौशल किशोर तनय स्व. श्री सीताराम शुक्ला
4. अवध किशोर तनय स्व. श्री सीताराम शुक्ला
5. जुगल किशारे तनय स्व. श्री सीताराम शुक्ला
6. युगल किशोर तनय स्व. श्री सीताराम शुक्ला
   निवासीगण पटवारी मोहल्ला,
   मदन मार्ग वार्ड नं. 28 छतरपुर ......आवेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभि० द्वारा आज दि. 24-7-15 को प्रस्तुत
रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

//विरूद्ध//

श्रीमति अल्का सिंह पत्नि जोगेन्दर सिंह
निवासी पन्ना जिला पन्ना ......अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भू. राजस्व संहिता 1959 एवं संशोधन अधिनियम 2011 के अनुसार

उपरोक्त आवेदकगण ने न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार जिला छतरपुर (म.प्र.) के प्रकरण क्रमाँक 11/अ–6–अ/1998–99 में पारित आदेश दिनांक 24–03–1999 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है:–

1. यह कि प्रकरण का विवरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, मौजा छतरपुर स्थित भूमि खसरा कमांक 1788/1 आवेदकगणों की कयशुदा भूमि है जिस पर वह काबिज है तथा उनके द्वारा भवन निर्माण कार्य भी कराया जा चुका हैं। अनावेदक द्वारा तहसीलदार छतरपुर के समक्ष उक्त भूमि की तरमीम किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था जिसके आधार पर तहसीलदार छतरपुर द्वारा विधि–विपरीत आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण की यह निगरानी सशक्त आधारों पर प्रस्तुत है।

2. यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतो के प्रतिकूल होने से निरस्तनीय है।